(101)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3–4/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 23/07/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह(पुलिस)/जेल/वाणिज्यिक कर/वन/
परिवहन विभाग ।

विषयः– राज्य शासन के वर्दीधारी विभागों की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण ।

सन्दर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3–4/2016/1/3, दिनांक 12.07.2016

सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 12.07.2016 द्वारा गृह विभाग (पुलिस), वाणिज्यिक कर (आबकारी), जेल, परिवहन एवं वन विभाग के सभी वर्दीधारी संवर्गों (राजपत्रित/अराजपत्रित) में न्यूनतम आयु सीमा 21 से 28 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 28+10=38 वर्ष निर्धारित करने के निर्देश जारी किये गये हैं । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश केवल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले कार्यपालिक (राजपत्रित/अराजपत्रित) पदों के लिए है ।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक सी 3–4/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 23/07/2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
2. संचालक, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल इक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ।
3. निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
4. समस्त प्रांताध्यक्ष, मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संघ, म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग